

दिनांक

आदेश

आयुक्ति

11/04
19

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक दीपक बालमुचू पिता— स्व० रामचन्द्र बालमुचू ग्राम— कवरागुट्ट, थाना— मुफ्फसिल जिला— पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा— गितिलपी, थाना नं०— 580, खाता नं०— 32, प्लॉट नं०— 2037, रकवा— 0.05 एकड़ भूमि क्रेता सीनी सावैयाँ, पिता— स्व० लखन सावैयाँ, ग्राम— गितिपली, थाना— मुफ्फसिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम से ना० वाद सं० 72(M)/2001-02 द्वारा नामान्तरित होकर पंजी में दर्ज हुआ है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक— 257, दिनांक— 29.3.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि गृह निर्माण एवं पढाई हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू—खण्ड को क्रेता सीनी सावैयाँ, पिता— स्व० लखन सावैयाँ, ग्राम— गितिपली, थाना— मुफ्फसिल चाईबासा के पास 3,80,000.00/—(तीन लाख अस्सी हजार) रुपये में विक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफ्फसिल थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का विक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू—सम्पति प्रयाप्त है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता दीपक बालमुचू पिता— स्व० रामचन्द्र बालमुचू, ग्राम— कवरागुट्ट, थाना— मुफ्फसिल, क्रेता सीनी सावैयाँ, पिता— स्व० लखन सावैयाँ, ग्राम— गितिपली, थाना— मुफ्फसिल चाईबासा के पास जमीन का 3,80,000.00/—(तीन लाख अस्सी हजार)रुपये में मौजा— गितिलपी, थाना नं०— 580, खाता नं०— 32, प्लॉट नं०— 2037, रकवा— 0.05 एकड़ जमीन को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत विक्री द्वारा हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

लेखापित।


भूमि सुधार उपसहा
सदर चाईबासा।


भूमि सुधार उपसहा
सदर चाईबासा।